संचिका संख्याः–4प/ग्रा०क०स्था–80–02/2024/3272/पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

ई–मेल/स्पीड पोस्ट

प्रेषक,

मो० वसीम अहमद,
विशेष कार्य पदाधिकारी।

सेवा में,

सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक 19/2/2026

विषयः– **ग्राम कचहरी न्यायमित्र/सचिव के पद पर चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण–पत्र सत्यापन के संबंध में।**

प्रसंगः– **विभागीय पंत्राक 14341 दिनांक 14.08.2025**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के माध्यम से निदेशानुसार कहना है कि विभागीय विज्ञापन नोटिस संख्या 826 एवं विज्ञापन नोटिस संख्या 1420 के आलोक में क्रमशः ग्राम कचहरी सचिव एवं न्यायमित्र के पद हेतु चयनित अभ्यर्थियों के शैक्षणिक प्रमाण–पत्रों का सत्यापन विभिन्न निर्धारित तिथियों को किया गया है। तदोपरांत शेष रिक्ति पर अगले आदेश तक नियोजन की कार्रवाई नहीं किये जाने हेतु सभी जिलों को निदेश संसूचित किया गया था।

2. उल्लेखनीय है कि सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना का पत्र संख्या 22047 दिनांक 27.11.2025 द्वारा राज्य में अधिक से अधिक युवाओं को ससमय नौकरी देने के लक्ष्य के अधीन रिक्ति को जल्द से जल्द भरने हेतु सभी विभाग/कार्यालय को निदेश संसूचित किया गया है। उक्त आलोक में पंचायती राज विभाग अंतर्गत ग्राम कचहरी सचिव/न्यायमित्र के शेष रह गये रिक्त पदों को भरने की कार्रवाई किया जाना आवश्यक है।

3. ज्ञातव्य हो कि ग्राम कचहरी न्यायमित्र (नियुक्ति, सेवाशर्त्त एवं कर्त्तव्य) नियमावली, 2007 की नियम–6(13) में निहित प्रावधान–''अंतिम रूप से प्रकाशित पैनल ग्राम कचहरी के पूर्ण कार्यकाल के लिए वैध रहेगा।'' नियम–6(17) के अनुसार–''ग्राम कचहरी के मेधा सूची से संबंधित ग्राम कहचरी के रिक्ति को भरे जाने के बाद ग्राम कचहरीवार तैयार किये गये पैनल को सुरक्षित रखा जायेगा ताकि भविष्य में यदि रिक्ति हो तो संबंधित ग्राम कचहरी की मेधा सूची से अवरोही क्रम में उपर्युक्त समिति द्वारा कॉउंसलिंग के आधार पर रिक्ति को भरा जा सके।'' अतएव उक्त प्रावधान का अनुपालन करते हुए न्यायमित्र के अंतिम मेधासूची (Final Merit List)/पैनल से अवरोही क्रम में (यथा मेधाक्रम–01 के अभ्यर्थी के चयनित/नियोजित नहीं होने पर मेधाक्रम–02 के अभ्यर्थी तथा इसी प्रकार मेधाक्रम–02, 03, ... के अभ्यर्थी का चयन/नियोजन नहीं होने पर अगले मेधाक्रम के अभ्यर्थी का) नियोजन करने की कार्रवाई पूर्ण की जानी चाहिए।

4. अतएव ***ग्राम कचहरी सचिव/न्यायमित्र पद पर नियोजन हेतु दिनांक 26.02.2026 को कॉउंसलिंग की तिथि निर्धारित की जाती है।*** कॉउंसिलिंग की तिथि को जिला पंचायत राज पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि योग्य अभ्यर्थियों को नियोजन एवं सहमति पत्र

D:\Nawal 2026\Chandan Aso\Gram Kachahri\Letter.docx

अनिवार्य रूप से कॉउंसिलिंग के दिन संबंधित ग्राम कचहरी सरपंच के हाथों वितरित करा दी जाए। उक्त नियोजन की सम्पूर्ण जवाबदेही जिला पंचायत राज पदाधिकारी की होगी।

इसे अत्यावश्यक समझा जाए।

विश्वासभाजन

18/2/2026

(मो० वसीम अहमद)
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांकः–4प/ग्रा०क०स्था–80–02/2024/3272/पं०रा० पटना, दिनांक 19/2/2026

प्रतिलिपिः– सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/2/2026

(मो० वसीम अहमद)
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांकः–4प/ग्रा०क०स्था–80–02/2024/3272/पं०रा० पटना, दिनांक 19/2/2026

प्रतिलिपिः– निदेशक, Codebucket Solution Private Limited, 1st Floor, Shah Arcad, Digha. Panta. को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/2/2026

(मो० वसीम अहमद)
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांकः–4प/ग्रा०क०स्था–80–02/2024/3272/पं०रा० पटना, दिनांक 19/2/2026

प्रतिलिपिः– आई०टी० प्रबंधक, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/2/2026

(मो० वसीम अहमद)
विशेष कार्य पदाधिकारी

D:\Nawal 2026\Chandan Aso\Gram Kachahri\Letter.docx